भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
सीमित दिवाला परीक्षा प्रभाग
मूल्यांकन परीक्षा प्रभाग

सं.आई.बी.बी.आई./परीक्षा/63/2024 तारीख 18 जनवरी, 2024

परिपत्र

सेवा में,
समस्त परीक्षा प्रशासक
समस्त दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
समस्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
परीक्षा पद्धति में रजिस्ट्रीकृत समस्त अभ्यर्थी
(आई.बी.बी.आई. वैबसाइट के माध्यम से)

विषयः सीमित दिवाला परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षाओं में निरंतर दो प्रयासों के बीच कूलिंग ऑफ अवधि में कमी

आई.बी.बी.आई., भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 3 के अनुसरण में, सीमित दिवाला परीक्षा(एल.आई.ई.) का संचालन करता है । उक्त विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ आई.बी.बी.आई. को इस परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रकार, अर्हक अंक और परीक्षा की आवर्ती का अवधारण करने के लिए, जो कि इस परीक्षा से कम से कम तीन मास पूर्व प्रकाशित किए जाने होते हैं, सशक्त किया गया है ।

2. आई.बी.बी.आई., अभिहित प्राधिकारी के रूप में, कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) विनियम, 2017(मूल्यांकन नियम) के विनियम 5 के निबंधनानुसार, मूल्यांकन परीक्षाओं का भी संचालन करता है । उक्त विनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, आई.बी.बी.आई. को इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, प्रकार और परीक्षा की आवर्ती, जिसके अंतर्गत अर्हक अंक भी हैं, जो कि परीक्षा से कम से कम तीन मास पूर्व प्रकाशित किए जाने होते हैं, सशक्त किया गया है ।

3. परीक्षाओं की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए, दोनों परीक्षाओं के लिए निरंतर दो प्रयासों के बीच की समयावधि को दो मास से घटाकर 21 दिन करने का विनिश्चय किया गया है । यह समायोजन अभ्यर्थियों को अत्यधिक सुनम्यता और सुधार के अवसर प्रदान करता है, जिससे एक अत्यधिक गतिशील और उत्तरदायी परीक्षा पद्धति स्थापित होती है ।

4. अतः, आपको इस परिपत्र की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् संचालित/दी जाने वाली एल.आई.ई. और मूल्यांकन परीक्षाओं में उपर्युक्त अपेक्षाओं का क्रियान्वयन/अनुसरण करने की सलाह दी जाती है ।

5. यह परिपत्र, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों और मूल्यांकन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ।

भवदीय
हस्ता./
राजेश तिवारी
महाप्रबंधक
टेलीः 011 2346 2864
ईमेलः trajesh.74@ibbi.gov.in